सं0-2/2016/189/तीन-2016-5(1)/04टीसी-2

प्रेषक,

मणि प्रसाद मिश्र,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

हरदोई/गौतमबुद्धनगर/मैनपुरी/आगरा/चन्दौली/फतेहपुर/बहराईच।

सामान्य प्रशासन अनुभाग लखनऊ : दिनांक 11 मार्च 2016

विषय : अशोक चक्र श्रृंखला के अन्तर्गत पुरस्कृत किये गये उत्तर प्रदेश के नागरिकों को एकमुश्त एवं वार्षिकी की धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2487/तीन-5(9)/85-सा0प्र0अनु0, दिनांक 07 जुलाई, 1987 एवं शासनादेश संख्या-वी0आई0पी0-111/तीन-98-5(14)/97-सा0प्र0अनु0 दिनांक 06 मई 1999 तथा शासनादेश संख्या-2028(1)/तीन-2008-5(1)/2004 दिनांक 21 सितम्बर 2008 के अनुसार श्री राज्यपाल महोदय अशोक चक्र श्रृंखला से अलंकृत उत्तर प्रदेश के नागरिकों के नाम के सम्मुख अंकित धनराशि का भुगतान किये जाने हेतु 07 नागरिकों को कुल रू0 26,20,000/- (रू0 छब्बीस लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि निम्न् विवरण के अनुसार भुगतान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

क्र0	अलंकृत व्यक्ति का नाम एवं पदनाम	अलंकरण/पुरस्कार का नाम तथा प्रदान किये जाने की तिथि	अलंकृत व्यक्ति के स्थायी निवास का पता	राज्य सरकार से अनुमन्य धनराशि/एकमुश्त/वार्षि की एवं संगत वित्तीय वर्ष	धनराशि प्राप्त करने वाला व्यक्ति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1	2	3	4	5	6
1	स्व0 ले0 कर्नल हर्ष उदय सिंह गौर	शौर्य चक्र 26-1-1995	ग्राम व पोस्ट नीर, जिला हरदोई	वित्तीय वर्ष 2015-16 की वार्षिकी रू0 1,20,000/-	श्रीमती अचला गौर पत्नी स्व0 ले0 कर्नल हर्ष उदय सिंह गौर
2	विंग कमाण्डर निखिल नायडू	शौर्य चक्र 26-1-2014	मंकान नं0-1208 सेक्टर 37 नोएडा जिला गौतमबुद्ध नगर (उ0प्र0) 201301	एकमुश्त धनराशि 10,00,000/- एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 व 2015-16 की वार्षिकी 50,000×2=1,00,000/- कुल धनराशि= 11,00,000/-	विंग कमाण्डर निखिल नायडू
3	स्व0 नायक जगवीर सिंह	कीर्ति चक्र 16-3-1970	ग्राम व पोस्ट औरन्ध, जिला मैनपुरी	वित्तीय वर्ष 2015-16 की वार्षिकी रू0 1,00,000/-	श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी स्व0 नायक जगवीर सिंह
4	शहीद सूबेदार सत्यप्रकाश	शौर्य चक्र 18-10-2001	शिवनगर कालोनी गौतम बुद्ध इण्टर कालेज के पास, आगरा रोड	वित्तीय वर्ष् 2015-16 की वार्षिकी रू0 50,000/-	श्रीमती नारायण श्री पत्नी शहीद सूबेदार सत्यप्रकाश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

			मैनपुरी		
5	शहीद धीरज सिंह	शौर्य चक्र 03-05-2006	ग्राम व पोस्ट हिंगुतरगढ़ थाना धानापुर, चन्दौली	वित्तीय वर्ष 2014-15 की वार्षिकी रू0 50,000/-	श्रीमती ललिता देवी माता शहीद धीरज सिंह
6	कैप्टन मनीष सिंह	शौर्य चक्र 25-01-2013	निवासी 72 कलक्टरगंज फतेहपुर थानाक्षेत्र कोतवाली फतेहपुर।	एकमुश्त धनराशि 10,00,000/- एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 व 2015-16 की वार्षिकी 50,000×2=1,00,000/- कुल धनराशि= 11,00,000/-	कैप्टन मनीष सिंह
7	मेजर रत्नेश कुमार सिंह	शौर्य चक्र 15-08-2009	मकान नंबर-9/6(4), सूफीपुरा सिविल लाईन्स, कोतवाली देहात, बहराईच	वित्तीय वर्ष 2014-15 व 2015-16 की वार्षिकी 50,000×2=1,00,000/-	मेजर रत्नेश कुमार सिंह
कुल धनराशि रू0- 26,20,000/- (रू0- छब्बीस लाख बीस हजार मात्र)					

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-84 के लेखा शीर्षक "2075-विविध सामान्य सेवायें-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03-अशोक चक्र श्रृंखला के अन्तर्गत उल्लिखित पुरस्कारों से

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

विभूषित किये जाने वाले उ0प्र के नागरिकों को नगद पुरस्कार के रूप में एक मुश्त धनराशि-42-अन्य व्यय'' के नामें डाला जायेगा।

3- जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि उपर्युक्त समस्त पुरस्कार विजेता उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं एवं एकमुश्त/वार्षिकी की धनराशि का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है। जिलाधिकारी द्वार यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रथम उत्तराधिकारी के बैंक खाते की पहचार नियमानुसार करने के उपरान्त इलेक्ट्रॉनिक फन्ड ट्रान्सफर से सही व्यक्ति को समय से वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्दर भुगतान किया जायेगा। यह भी सत्यापित कर लिया जाये कि भुगतान के समय प्रथम उत्तराधिकारी जीवित हो।

4- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित करके उल्लिखित व्यक्ति को भुगतान करा दी जाय तथा कोषागार से आहरण की तिथि तथा बाऊचर संख्या महालेखाकार कार्यालय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद तथा शासन को अविलम्ब उपलब्धकरा दिये जाय। सम्बन्धित जिलाधिकारी स्वीकृत धनराशि हस्तगतकराने से पूर्व सम्बन्धित लाभार्थी का ''जीवित प्रमाण-पत्र'' प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे एवं तद्नुसार शासन को भी सूचित करेंगे।

5- आपसे यह भी अनुरोध है कि कृपया इस शासनादेश के अन्तर्गत स्वीकृत वार्षिकी को आगामी वर्ष में स्वीकृत किये जाने के संबंध में अपना प्रस्ताव विलम्बतम शासन को दिनांक 15 अगस्त 2015 तक अवश्य उपलब्ध करा दें, ताकि तद्नुसार आगामी वर्ष के आय-व्ययक में आवश्यक प्राविधान कराया जा सके और धनराशि स्वीकृत करने में कोई कठिनाई उत्पन्न न हो।

6- यह शासनादेश **www.shasanadesh.up.nic.in** पर भी उपलब्ध है।

भवदीय

(मणि प्रसाद मिश्र)

सचिव।

संख्या- : 2/2016/189(1)/तीन-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- महालेखाकर, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- कोषाधिकारी,

हरदोई/गौतमबुद्धनगर/मैनपुरी/आगरा/चन्दौली/फतेहपुर/बहराईच।

3- संबंधित व्यक्ति/प्राप्तकर्ता।

4- रक्षा सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

5- सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

6- निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय, केसरबाग, लखनऊ।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(के0डी0 वर्मा)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सामान्य प्रशासन विभाग
(ग्रिड-रिपोर्ट)

अनुदान संख्या: 84- सामान्य प्रशासन विभाग

लेखा शीर्षक : 2075008000300- अशोक चक्र श्रृंखला के अन्तर्गत उल्लिखित पुरस्कारों से विभूषित किये जाने वाले उ.प्र. के नागरिकों को नकद पुरस्कार के रूप में एक मुश्त धनराशि

मानद मद: 42-अन्य व्यय **वित्तीय वर्ष: 2015-2016** **(धनराशि रूपये में)**

आवंटन आदेश संख्या	आवंटन तिथि	कोषागार/अधिकारी	आवंटन
002-986-3-2015	11/03/2016	77-चन्दौली-4183-01- जिलाधिकारी	50000
002-986-3-2015	11/03/2016	76-गौतमबुद्धनगर-4183-01- जिलाधिकारी	1100000
002-986-3-2015	11/03/2016	51-बहराइच-4183-01- जिलाधिकारी	100000
002-986-3-2015	11/03/2016	47-हरदोई-4183-01- जिलाधिकारी	120000
002-986-3-2015	11/03/2016	21-फतेहपुर-4183-01- जिलाधिकारी	1100000
002-986-3-2015	11/03/2016	09-मैनपुरी-4183-01- जिलाधिकारी	150000

योग : 2620000

(कृष्ण दयाल वर्मा)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।